



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 08.11.2023

थाना कोतवाली शामली

जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 02 वारण्टी अभियुक्त किये गिरफ्तार:-

दिनांक 08.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

आरिफ पुत्र राजूदीन निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली।

इन्तजार पुत्र अय्यूब निवासी मौहल्ला नौकुआ रोड थाना कोतवाली जनपद शामली।

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ट्यूबवैल/नलकूप से हुई चोरी की कई घटनाओं का सफल अनावरण कर 02 चोर

गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवैल/नलकूप से चोरी किया सामान बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 11.10.2023 की रात्रि में ग्राम हरडफतेहपुर में तथा दिनांक 14.10.2023 को ग्राम भैसानी इस्लामपुर में तथा दिनांक 17.10.2023 व 03/04.11.2023 को ग्राम खानपुर में अज्ञात चोरो द्वारा ट्यूबवैल/नलकूप से चोरी करने के संबंध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। थाना थानाभवन पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये।

इसी क्रम में आज दिनांक 08. 11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी की घटनाओं का अनावरण एवं चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा ट्यूबवैल/नलकूप में हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये घटना में शामिल 02 चोरों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से ट्यूबवैल/नलकूप से चोरी किया हुआ एक हॉर्स पॉवर की 03 मोटर, 2.5 किलोग्राम ताँबे का तार, स्टार्टर के कलपूर्जे व अन्य सामान बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण सलमान व सलीम ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों नशा करने के आदी हैं, जिसके लिये हमें पैसो जरूरत थी, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर कुछ समय पहले जलालाबाद से तीन बिजली की मोटर एक हॉर्स पॉवर, दिनांक 11.10.23 की रात में ग्राम हरड फतेहपुर, दिनांक 14.10.23 की रात में ग्राम भैसानी इस्लामपुर, दिनांक 17.10.23 की रात ग्राम खानपुर व दिनांक 03/04.11.2023 की रात में ग्राम खानपुर के जंगल से ट्यूबवैलो से केबिल के तार व स्टार्टर के कलपूर्जे चोरी किये थे। ट्यूबवैलों से चोरी करने के बाद, चोरी किये हुए केबिल को जलाकर हमने ताँबे का तार निकाल लिया था। चोरी के सामान को हम दोनों बेचने के लिए ले जा रहे थे कि रास्ते में हमें पुलिस ने पकड़ लिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.सलमान पुत्र अनीश निवासी मौहल्ला खैरादियान कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.सलीम पुत्र तहसीन निवासी मौहल्ला कोटला कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.चोरी की हुई एक हॉर्स पॉवर की 03 मोटर।
- 2.जला हुआ ताँबे का तार 2.5 किलो ग्राम।
- 3.स्टार्टर के कलपूर्जे।
- 4.चोरी करने में प्रयुक्त एक हथौड़ी, एक प्लास, एक पेंचकस।

आपराधिक इतिहास सलमान उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 369/2023 धारा 380/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 374/2023 धारा 379/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 376/2023 धारा 380/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 4.मु0अ0सं0 394/2023 धारा 379/436/427/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 5.मु0अ0सं0 399/2023 धारा 414 भादवि 102 द0प्र0सं0 थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास सलीम उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 369/2023 धारा 380/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 374/2023 धारा 379/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 376/2023 धारा 380/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 4.मु0अ0सं0 394/2023 धारा 379/436/427/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 5.मु0अ0सं0 399/2023 धारा 414 भादवि 102 द0प्र0सं0 थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री लोगेश कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

- 2.उ0नि0 श्री धर्मवीर सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 3.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 4.उ0नि0 श्री विक्रम सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 5.है0का0 भूपेन्द्र सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 6.है0का0 दुर्गेश शर्मा थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 7.है0का0 यशपाल सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 8.का0 शेखर कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली ।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा गुमशुदा 03 वर्षीय बच्ची को 02 घण्टे का अल्प समयवधि में सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

आज दिनांक 08.11.2023 को दिलशाद पहलवान पुत्र ईनाम इलाही नि वासी मौहल्ला खालापार जनपद मु0नगर मो0न0 9927552786 अपनी 03 वर्षीय पुत्री कु0 अतीका के साथ अपनी रिश्तेदारी मौहल्ला दरबार खुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली में आये हुये थे कि उनकी पुत्री अतीका मौहल्ला दरबार खुर्द से गुम हो गई, जिसके सम्बन्ध में श्री दिलशाद उपरोक्त द्वारा थाना कैराना पर सूचना दी गयी । थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए गुमशुदा बच्ची को 02 घण्टे की अल्प समयवधि में पानीपत बाईपास कैराना से सुकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया । लापता बच्ची के पिता द्वारा बच्ची की सकुशल बरामदगी करने पर थाना कैराना पुलिस का आभार व्यक्त किया गया ।

तलाश करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

- 1.उ0नि0 कुलदीप सिंह थाना कैराना जनपद शामली ।
- 2.का0 अनुज कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते अवैध हथियार रखने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई 03 वर्ष के कारावास की सजा:-

वर्ष 2020 में अभियुक्त जावेद पुत्र जाबिर निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 510/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/25 आयुध अधिनियम में 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी है।

नाम व पता अभियुक्त:-

जावेद पुत्र जाबिर निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI